कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर

क्रमांक एफ ( ) 2021–22 / एफसीए / मुवसभ / 3014 दिनांक 30-6-23

निमित्त,

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी,
एफसीए, राज. जयपुर।

विषयः– Diversion of 248.5515 ha. of Forest land in favour of DMG, Rajasthan in Block A and B Paharpur Tehsil – Roopwas, Dist.- Bharatpur for mining and generation of employment and earning of revenue for Government in Bharatpur District in the State of Rajasthan. Online Proposal No. FP/RJ/MIN/149012/2021

संदर्भ– आपका ऑनलाईन ई.डी.एस. दिनांक 22.06.2023 एवं उप वन संरक्षक का पत्र क्रमांक 8174 दिनांक 28.06.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आपके संदर्भित ऑनलाईन ई.डी.एस. दिनांक 22.06.2023 के क्रम में उप वन संरक्षक भरतपुर द्वारा बिन्दुवार निम्नानुसार पूर्ति कर प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया है :–

S.No.	Observations	Compliance
.1	बिन्दु 1 के क्रम में 44 हैक्टर वन क्षेत्र हेतु माननीय न्यायालय में विचाराधीन केस की अद्यतन विस्तृत जानकारी मय दस्तावेज उपलब्ध नहीं है ।	उप वन संरक्षक भरतपुर के संदर्भित पत्र अनुसार पाषाण उत्पादक सहकारी समिति (याचिकाकर्ता) के खनन पटटा अंतर्गत 44 हेक्टेयर क्षेत्र आता है। याची द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में दायर SBCWP No- 8028/2004 में पारित आदेश दिनांक 03.12.2004 (Annexure-1) से स्थगन (status quo) जारी किया गया। प्रकरण में शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28.01.2022 (Annexure-2) को सुना गया जिसमें आगामी तिथि 10.03.2022 नियत की। वर्तमान में स्थगन प्रभावी है।
2.	उपर्युक्तानुसार 44 हैक्टर वन क्षेत्र को भविष्य में किस प्रकार प्रयोग में लाया जाना है। इसकी सूचना /तथ्यात्मक रिपोर्ट यूजर एजेन्सी द्वारा किया जाना है।	उप वन संरक्षक, भरतपुर के संदर्भित पत्रानुसार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में दायर SBCWP No-0028/2004 का निस्तारण होने के उपरान्त 44 हैक्टर वन क्षेत्र के डायवर्जन की कार्यवाही यूजर एजेन्सी द्वारा की जावेगी।
3.	मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर की टिप्पणी उपयुक्त है।	The sites proposed for the CA are not a part of Land Bank. The legal status of the land proposed for the CA is Protected Forest(5094.33Ha) and it was declared by the notification Pa.2(3) Van/2008 dated 13.11.2009 and Pa.2(30) Van/2008 dated 13.11.2009. The background of this land was allotted by Government order dated on 08.02.2008 and this order mentioned that the land is given in lieu of future forest land diversion cases. The same land was declared as Protected Forest .in the vide notification dated 13.11.2009. Copies of the Government allotment

Signature valid

Digitally signed by T. Mohan Raj
Designation : Chief Conservator Of Forest
Date: 2023.06.30 17:32:48 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4172303

S.No.	Observations	Compliance
		order and Notification are annexed. It is also to be considered the same part of the land (398 Ha) was already approved for CA works in an another diversion case FP/RJ/MIN/125714/2021 approved under FCA on 22.03.2021. Hence, it is recommended that the remaining area of the forest land in the similar manner for the CA may be considered in the in this diversion case.
4.	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण दो भागों में बताया है जबकि पार्ट–1 में इन्हें चार भागों में दर्शाया गया है। मुख्य वन संरक्षक तदनुसार अपनी टिप्पणी प्रस्तावित है। प्रस्तावित क्षेत्र में दिख रही गैर वानिकी कार्यों जैसे खनन आदि पर उप वन संरक्षक की टिप्पणी स्पष्ट नहीं है ।	उप वन संरक्षक भरतपुर के संदर्भित पत्र अनुसार पार्ट–1 में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण 4 भागों दर्शाया गया है। जिसके अनुसार 4 अलग–2 नक्शे (DGPS), 4 अलग–2 Patchwise CA Scheme GT sheet पर, marked नक्शे संलग्न है एवं सी0ए0 स्कीम का सम्पूर्ण विवरण संलग्न है। (Annexure-3 Page No:- From 1 to 52)
5	प्रस्तावित क्षेत्र में दिख रही गैर वानिकी कार्यों जैसे खनन आदि पर उप वन संरक्षक की टिप्पणी स्पष्ट नहीं है ।	As per DCF Bharatpur letter dated 28-06-2023 Previously these Revenue Land were under the control of Revenue Department and affected by mining activities in the past and Government decided to stop the mining activities and transferred to Forest Department and the mining activities are stopped and the proposed area is not having any mining activities as mentioned in Ranger Kaman and Ranger Bharatpur report. Details are enclosed as (Annexure-4 Page No:- From 1 to 8)
6	उप वन संरक्षक, भरतपुर द्वारा कार्यवाही अपेक्षित है।	उप वन संरक्षक भरतपुर द्वारा इस संबंध में स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र (Land suitability certificate) संलग्न कर दिया गया हैं। (Annexure-5)
7	प्रस्ताव में प्रस्तुत नक्शा सही नहीं है। पुराने खनन पट्टे एवं नवीन खनन पट्टे में सेपटी जोन को अलग–अलग रंग में मार्क कर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करावें एवं नवीन नक्शा अपलोड प्रस्तुत करावें ।	उप वन संरक्षक भरतपुर के संदर्भित पत्र अनुसार पुराने खनन पट्टे एवं नवीन खनन पट्टे में सेपटी जोन को अलग अलग रंग में मार्क कर नवीनतम नक्शा अपलोड कर दिया गया है। (Annexure-6 page no 1 to 6)
8	परियोजना मे Site Specifie and Non & Site Specific activities को पृथक– पृथक दिखाया जावें एवं तदनुसार माईनिंग प्लान भी संशोधित करावें ।	उप वन संरक्षक भरतपुर के संदर्भित पत्र अनुसार वन क्षेत्र का डायवर्जन होने के उपरान्त delineation की कार्यवाही कर E-Auction किया जावेगा। प्रत्येक पटटाधारी द्वारा खनन पटटा क्षेत्र में Site Specific and Non Site Specific activities को पृथक से माईनिंग प्लान अनुमोदन कराया जायेगा। (Annexure-7 Revised mining plan attached and mentioned in page no:- 32 of mining plan)
9	माईनिंग प्लान में प्रदर्शित 3.3049 हेक्टर वन क्षेत्र को not to be utilized किस योजना अनुसार किया जाना है। प्रोगेसिव माइनिंग प्लान दिया जावें।	उप वन संरक्षक भरतपुर के संदर्भित पत्र अनुसार माईनिंग प्लान में प्रदर्शित 3.3049 हेक्टर वन क्षेत्र को utilized कर संसोधित किया गया। (Annexure-7 Revised mining plan attached and mentioned in page no:- 32 of mining plan)
10	30 हैक्टर वन क्षेत्र के Green Belt की योजना प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रखा गया है तदनुसार KML फाईल प्रस्तुत की जानी है।	उप वन संरक्षक भरतपुर के संदर्भित पत्र अनुसार माईनिंग प्लान में 2.7255 हैक्टर वन क्षेत्र के Green Belt की योजना प्रत्यावर्तित क्षेत्र में प्रस्तावित है। खनन पट्टाधारी द्वारा लीज अवधि में लगभग 11.00 हैक्टर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जावेगा। खनन पट्टो का

Signature valid

Digitally signed by T. Mohan Raj
Designation: Chief Conservator Of Forest
Date: 2023.06.30 17:32:48 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4172303

S.No.	Observations	Compliance
		ऑनलाईन ऑक्शन किये जाने के पश्चात वृक्षारोपण हेतु क्षेत्र चिन्हित होने के उपरान्त के0एम0एल0 फाईल प्रस्तुत करवाई जा सकेंगी। (Annexure-7 Revised mining plan attached and mentioned in page no:- 32 of mining plan)

अतः उक्तानुसार आक्षेप पूर्ति उपरान्त प्रस्ताव मय दो हार्ड प्रतियां अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डॉ. टी. मोहन राज)
मुख्य वन संरक्षक,
भरतपुर
दिनांक

कमांक एफ ( ) 2021–22/एफसीए/मुवसभ/
प्रतिलिपी :-

1. उप वन संरक्षक, भरतपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

मुख्य वन संरक्षक,
भरतपुर

Signature valid

Digitally signed by T. Mohan Raj
Designation : Chief Conservator Of Forest
Date: 2023.06.30 17:32:48 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4172303